छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनाँक 31 / 12 / 2015

क्रमांक 8405 / 1085 / स्था / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.सेवा / 2014 :: विभागीय आदेश क्रमांक 7939 / 1085 / स्था. / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.सेवा / 2014, रायपुर, दिनाँक 22.10.2014 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 9150 / 1085 / स्था. / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.सेवा / 2014, रायपुर, दिनाँक 12.12.2014 के द्वारा निम्नांकित सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं को संविदा पर कण्डिका 04 में अंकित अवधि के लिये पदस्थ किया गया था :–

क्र.	नाम	कार्यालय का नाम	समाप्त हो रहे संविदा अवधि
1	2	3	4
1	श्री बी.आर.धावड़े	छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर	05.10.2015
2	श्री ए.के.जैन	छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर	05.10.2015
3	श्री दिनकर बोटके	छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर	22.10.2015
4	श्री पी.के.श्रीवास्तव	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	21.10.2015

2/ अतः इन अधिकारियों को पुनः कण्डिका 04 में अंकित अवधि से एक वर्ष के लिये संविदा पर रखा जाता है।

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :–

11. यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
12. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

निरंतर.....2

13. सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा।

14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्व महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

15. संविदा नियुक्ति की अवधि में वे सेवानिवृत्ति के समय के पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

18. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

19. संविदा नियुक्ति के दौरान उसे /उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे /उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ--साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके /उनके लिये बाध्यकारी होगा।

20. सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45--क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा पूतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28.4.15

(एस.एल.नायक)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निरंतर....3

पृ.क्र.8406/1085/स्था/22/वि–3/ग्रा.यां.से/14 रायपुर, दिनाँक 31/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर, छत्तीसगढ ।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाठापारा।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बलौदाबाजार–भाठापारा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, आर.डी.ए. भवन, द्वितीय तल, शास्त्री चौक, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट http://cgstate.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, रायपुर को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वेबसाईट http://cg.nic.in/resworks में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. अधीक्षण अभियंता छगग्रासविअ परियोजना मण्डल रायपुर
11. कार्यपालन अभियंता, परि.क्रि.ई., छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार
12. संबंधित श्री .....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

31.12.15

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग